

**REPORT OF THE JOINT COMMITTEE
BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE, BHOPAL**

In the Matter of

‘Tribunal on its own motion Suo Moto based on: News Item titled "वन विकास के जंगलो में लगातार अतिक्रमण व कटाई, प्रतिदिन काटे जा रहे सैकड़ों पेड़ , जिम्मेदार खामोश" appearing in CGmitan.com dated 07.05.2024’

Original Application No. 182/2024 (CZ)

&

Original Application No. 715/2024 (PB)



**Date of Site Inspection: 22th August, 2024
Location: Pandriya, Distt. Kabirdham, Chhattisgarh**

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Background	01
2.	Constitution of Joint committee	01
3.	Term of reference to the Joint committee	02
4.	Meeting of the Joint Committee	02
5.	Background of the area under question	03
6.	Brief about Forest Rights Act (FRA), 2006	04
7.	Field Observations of the Committee	05
8.	Action takes so far	07
9.	Recommendations	07
10.	Photographs of the visit	09-15
11.	Annexures 01 to 07	16-63

1. Background:

The Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi took Suo Moto cognizance of the present case based on the newspaper clip titled " वन विकास के जंगलो में लगातार अतिक्रमण व कटाई, प्रतिदिन काटे जा रहे सैकड़ो पेड़, जिम्मेदार खामोश " appearing in CGmitan.com dated 07.05.2024 " and registered in the Hon'ble NGT (PB), New Delhi as O.A. No. 715 of 2024.

In the above matter, Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi vide its Order dated 02.07.2024 constituted a Joint Committee comprising of (i) Regional Office, MoEF&CC, Raipur (ii) Principal Chief Conservator of Forest, Chattisgarh (iii) Representative, Central Pollution Control Board and (iv) District Magistrate Kabirdham and directed the said Committee to submit factual report within two months. Hon'ble Principal Bench transferred the matter to the Hon'ble NGT Central Zone Bench, Bhopal and the case is renumbered as O.A. 182 of 2024. In the above said Order dated 02.07.2024, Hon'ble NGT appointed the District Magistrate Kabirdham as nodal agency for coordination and compliance. The Order of the Hon'ble NGT, Principal Bench dated 02.07.2024 is enclosed as **Annexure-01**.

2. Constitution of Joint Committee:

In compliance with the Order dated 02.07.2024 of Hon'ble NGT, New Delhi and based on the nominations received from the organizations concerned, a Joint Committee has been constituted comprising the following members:

- (i). Dr. C.B.Tashildar, Assistant Inspector General of Forest(Central), MoEF&CC, Regional Office, Nagpur.
- (ii). Sh. Nirbhay Sahu, Additional Collector, Kabirdham
- (iii). Dr. Anoop Chaturvedi, Scientist-B, CPCB, Bhopal.
- (iv). Sh. Suyash Dhar Deewan SDO Forest Pandriya, representative of Principal Chief Conservator of Forest, Chattisgarh.

Sh. Pitamber Sahu, Divisional Manager of Chhattisgarh State Forest Development Corp. Ltd. Kawardha Project division, Kawardha coordinated the visit and explained about the present status and action initiated so far.

3. Terms of reference to the Joint Committee:

The Terms of the Reference (ToR) to the Joint Committee referred therein the Order dated 02.07.2024 of Hon'ble NGT in the above matter inter-alia include the following:

- (i). To ascertain the correct position and the truthfulness of the allegation which have been made in the news item and the extent of illegal felling of trees which has taken place.
- (ii). Committee shall visit the site, collect relevant information and submit an action taken report within two months before Registrar of Central Zonal Bench at Bhopal.

4. Meeting of the Joint Committee:

An introductory meeting of the Joint Committee was held on 22.08.2024 at Cerchiut house of the Pandriya block. All the members of the Joint Committee were present and deliberated the ToR to the Committee and the issues involved therein, which inter-alia include the following:

- (i). To collect information about status of complaint and its present status.
- (ii). Information about constitution of any Flying Squad/Task Force.
- (iii). Collection of information regarding Permission accorded by Government under Forest Rights Act in this area, if any.
- (iv). Land use of area under question as per revenue record.
- (v). Any previous action taken in the matter.

Committee was informed by the officers of Chhattisgarh State Forest Development Corporation Ltd. office, Kabirdham that the incident of alleged girdling and encroachment occurred in 2023 at Pandhriya block of Kabirdham District near the Kranti reservoir which is constructed for irrigation purpose in the area. The matter was in knowledge of the CG state forest development corporation and necessary action has been taken through registered the complaint on 13.4.2023 against the two persons under the section 33(1) C of Indian Forest Act 1927 and issued the notice in accordance to rule. Thus, immediate action was taken by the District Administration. Copy of POR filed and subsequent chargesheet issued is enclosed as **Annexure-02**.

In continuation to the meeting held, site inspection of the area under question was undertaken by the Joint Committee on 22.08.2024 in presence of the Officers from the Forest Department and CG State Forest Development Corporation, Officers from State Irrigation Department, Sarpanch of the area Badora. An opportunity was given to the local residents to submit their views before the Committee. During the site inspection Joint Committee were present and discussed the facts, issues and the Terms of the Reference (ToR) to the Joint Committee referred therein the Order dated 02.07.2024 of Hon'ble NGT.

To find out facts as well as to know the extent of problem, the committee also visited the Badora road and nearby areas which are mentioned in news article and discussed the issue of tree cutting if any or any instances of this in the recent past. The major observation of physical survey has been recorded in the form of Panchnama, which is enclosed as **Annexure-03**.

5. Background of the area under question:

Encroached Area: The area under question (13 Acre near Kranti reservoir) belongs to Kawardha Project division, Kabirdham (CGSFDC) the total forest area under this division is 25735.597 hectare which comprises 04 Ranges Pandariya, Bodla , Taregaon and Singhari Range. The forest area of Pandariya Range having 10110.535-hectare land and distributed in 45 compartments of Protected Forest (PF). The Forest area of Pandariya Range is covered with Miscellaneous Forest and main species are Teak, sal, saja, dhawada, haldu, tendu, Tinsa, char, Salia mode, karra etc. The Encroachment site comes under compartment PF/498, Badaura-2 Beat of Kukdur-2 circle of Pandariya Range. the total area of compartment PF/498 is 216.250 Ha.

Kranti reservoir: It was built in 1982-83 and this reservoir located about 7 km from district head quarter of Pandriya near Sagona village. It is earthen dam and total length is 2040 meter and height are 9.75 meter. It is mainly used for irrigation and agriculture work of the area and total irrigated land from this reservoir is 1012 hectare. The length of main canal is 13 km and minor canal is 6 km. The catchment area of the reservoir 9.37 sq.km and water holding area about 2.53 sq. km. This reservoir located just near to incident area and it was observed that during the full tank level this area submerged upto 0.5 meter of water.


6. Brief about Forest Rights Act (FRA), 2006:

(i). As per the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 or The Forest Rights Act (FRA), 2006 recognizes the rights of the forest dwelling tribal communities and other traditional forest dwellers to forest resources, on which these communities were dependent for a variety of needs, including livelihood, habitation and other socio-cultural needs. It can also be claimed by any member or community who has for at least three generations (75 years) prior to the 13th day of December, 2005 primarily resided in forests land for bona fide livelihood needs and the Gram Sabha is the authority to initiate the process for determining the nature and extent of Individual Forest Rights.

(ii). Through this act, there are three major rights on forests to be transferred to the forest-dwelling tribal people. These include:

- a. Title for Forest Land Under Occupation.
- b. Title to Community Forest Rights (CFR): This is the 'right of ownership, access to collect, use, and dispose of minor forest produce which has been traditionally collected within or outside village boundaries'. The Act 'defines the term "minor forest produce" to include "all non-timber produce of plant origin, including bamboo, brush wood, stumps, cane, tussar, cocoons, honey, wax, lac, tendu or kendu leaves, medicinal plants and herbs, roots, tubers, and the like"'.
c. Title to Community Forest Resources.

However, the rights vested under the act are inheritable but not sale-able.



Google image of the area under question at Pandhriya block Kawardha

7. Field Observations of the Committee:

- (i). GPS location of the Kranti reservoir at Pandriya block has been recorded using a mobile-based GPS application. The google map of the alleged tree cutting site and photographs taken during the inspection are enclosed herewith. The geographical coordinates of area under question are 22°27'78.91''N, 81°41'12.52''E.
- (ii). Committee visited the stretch of Kranti reservoir and protected forest compartment no 498 which is specifically mentioned in the paper news. On the day of site inspection, no such type of activity was observed. No transportation of wood was observed by the Committee at the time of visit.
- (iii). As informed by the Sarpanch and local residents of the area the local tribals are depended only on forest wood to fulfil their fuel requirement at home and this is the main reason of the illicit tree cutting. As mentioned above girdling's were observed; Girdling, also known as ring-barking, involves removing a strip of bark from around the circumference of a tree trunk. This disrupts the flow of sap and nutrients between the roots and the leaves of the tree. Eventually, the tree dies because it can no longer transport water and nutrients effectively. This method is being used to select trees for firewood, but it may have negative ecological impacts i.e Girdling can disrupt local ecosystems and reduce biodiversity. It's often considered illegal or unethical especially in protected forest areas.
- (iv). Committee was informed by the officers of Chhattisgarh State Forest Development corporation that two persons Sh. Sadhram and Sh. Pardeshi illegally encroached the protected forest land 1.813 hectare and 2.493 hectare near Kranti reservoir under protected forest compartment no 498 and damaging the 18 trees through girdling. After receiving the information, the forest officer registered a case POR 16217/09 on 13.4.2023 under forest offence, during the investigation both the culprit confess the crime. After completing the investigation the CG State Forest Development Corporation Kawardha Project division issued the show cause notice to Sh. Sadhram and Sh.Pardeshi on 19.5.2023 regarding unauthorised encroachment in forest land but both the accused not given any reply of notice issued. In continuation of that kawardha project division issued second notice to both the accused on 13.6.2023 but again they are not submitted any reply. After some time, division issued final notice for removal of encroachment on 12.01.2024 and receiving submitted to office.

Due to Model Code of Conduct and Parliament election of 2024 all the field employee engaged in the election duty hence action of removal of encroachment could not be completed. The relevant document i.e. complaint investigation information dated 11.5.2023, notices issued, Panchnama of spot action are enclosed as **Annexure-04**

- (v). As informed on 4.8.2024 CG state forest development corporation again verbally instructed to both the persons for removal of encroachment in compliance of that the encroachment of Sh Pardeshi from 2.493 hectare removed on 5.8.2024 and encroachment of Sh Sadhram from 1.813 hectare has been removed on 7.8.2024 and final report submitted to Range office, Pandriya. The action taken report submitted to Kawardha Project division of Chhattisgarh state forest development corporation Kawardha on 14.8.2024 is enclosed as **Annexure-05**
- (vi). The committee was observed that the facts published in the news article is true at some extent but the situation is not that much serious as mentioned in the news. The CG state forest development corporation constantly doing patrolling in the area and kept vigil on any illegal activity.
- (vii). As mentioned in the news article approx. 150-200 trees cut every day, wood from the forest being used for constructing hotels in city, sound of axe echoes the forest not found in consonance of the facts available on ground. The committee observed that at the time of visit there is no encroachment in the 13-acre land near Karanti reservoir area, girdling was found in some of the trees for that the CG forest development corporation taking remedial measures for reviving those trees.
- (viii). The committee observed that about 15 trees still affected from girdling and its revival is very much required and Chhattisgarh state forest development corporation must take care it.
- (ix). It was observed that to revive the girdling affected trees, the forest officials enclose the trunks of affected trees with chicken wire, hardware cloth, or plastic drainage pipe and make sure that bury it several inches below the surface so the smallest critters can't get to the bark and plant will be survived if not damaged so badly.
- (x). As informed by the Divisional Manager of the Kawardha Project division the CG state forest development corporation keep constant vigil over the activities

in the forest area through flying squad and ground officials of the area and also taking action against the violators in accordance to law. During January 2023 to June 2024 total 43 cases of illicit tree cutting were registered under the relevant section of Indian Forest Act, 1927 and seized the 3.053 cubic meter of timber wood and also recovered the penalty of Rs. 88,150/-. The CG Forest Development Corporation also caught the 50 by-cycles, 02 motor cycle and one tractor trolley who involved in illicit tree cutting activity and confiscation process in under consideration at higher authorities.

8.0 Action taken so far:

1. The encroached land 1.813 and 2.493 hectare has been vacated by the encroachers after strict action taken by the CG state forest development corporation and its compliance report submitted to its division office Kawardha.
2. To revive the damage of the girdled trees action has been initiated by the expert of the forest development corporation and most probably the tree will survive.
3. The vacant land has been demarked and plantation work has been started and so far, 250 plants has been planted and proposal of 15000 tree plantation in next phase is under consideration.
4. The Kawardha project division of CG state forest development corporation issued office order on 28.03.2024 for night surveillance in Pandhariya block and constituted the teams of three members who started the duty as per weekly schedule. The office order issued is enclosed as **Annexure-06**
5. To assessed the sensitivity of the issue and for protection of forest in this block, additional two Assistant Project Range officer has been deputed in Badora beat-II area the office order issued on 12.07.2024 in this regard same is enclosed as **Annexure-07**
6. The caution boards for prevention of forest have been place at prominent locations and more caution boards will be install as per the field requirement.

09. Recommendations:


The matter has been settled as encroachment removed, more than 250 tree planted, complaint registered under forest act and all necessary office order

has been issued, however to further protect the forest the following recommendation made by the committee:

- (i). The State Government should provide adequate manpower, security and vehicles etc. to the authorities concerned for regular monitoring and patrolling in the area to prevent illegal activity, if any.
- (ii). Warning boards intimating the penalty for illegal tree cutting should be placed by the Forest Department at prominent locations, along with contact details/phone/mobile of the official to whom the information/complaint can be made, if any one who notices illegal cutting.
- (iii). The Chhattisgarh State Forest Policy 2001 includes strategies such as promoting forest education, recognizing traditional rights, and developing a forest database etc it should be effectively implemented in the area, if required a refresher course for field officers may be organised.
- (iv). The forest department may prepare the detailed plantation plan for next year and after obtaining necessary approval and fund allocation work may be start along with revival of old plants affected from gridling. This work may be executed through CAMPA fund, if feasible.
- (v). The forest authority makes regular interaction, organised awareness activity with local residents and tribals who are residing in the forest area and if any un-scheduled activity observes than take action accordingly.
- (vi). The environment may be compensated by the planation of the trees in 20 times or more in ratio to the damaged trees. Accordingly, the Department of Forest, Kawrdha may be directed to ensure the planation @ 20 times or more of the trees, which has been damaged in area through the same offenders, at the same time the forest rights of tribals of the area should not be affected.



Shri. Nirbhay Sahu
Additional Collector,
Kabirdham



Dr. Anoop Chaturvedi
Scientist-B, CPCB, Bhopal



Dr. C.B. Tashildar
AIG of Forest MoEF&CC,
Regional-Office, Nagpur



Shri. Suyash Dhar Deewan
SDO Forest, Pandariya Sub
division Kabirdham

Photograph of the Committee visit



Visit of committee at Pandhariya block area, Kawrdha.





Visit of committee at alleged tree cutting area, Kawrdha.





Removal of encroachment near Kranti reservoir area





Trees affected from gridding total about 15 nos.





Committee discussed the issue with Sarpanch and local residents.





Tree plantation at Kranti reservoir site by forest officials and other locals on 29.8.2024





Caution board installed at site



Committee at PF 498 area

Item No. 05

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 715/2024

News Item titled " वन विकास के जंगलो में लगातार अतिक्रमण व कटाई , प्रतिदिन काटे जा रहे सैकड़ो पेड़ , ज़िम्मेदार खामोश " appearing in CGmitan.com dated 07.05.2024

Date of hearing: 02.07.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

ORDER

1. This original application is registered *suo-motu* on the basis of the news item titled "वन विकास के जंगलो में लगातार अतिक्रमण व कटाई , प्रतिदिन काटे जा रहे सैकड़ो पेड़ , ज़िम्मेदार खामोश" appearing in CGmitan.com dated 07.05.2024.

2. The matter relates to rampant cutting of wood and encroachment in the forests of Pandariya town in the Kabirdham district of Chhattisgarh. As per the article, indiscriminate cutting of trees is going on in the forest area of Pandaria sub forest division on Badora road. It alleges that the authorities have become mute spectators to the deforestation and no action is ever taken.

3. The news item alleges that 150-200 trees are being cut everyday. People bring wood every day on about 50 cycles. Wood from the forest is being used to construct hotels in the city. Due to cutting of trees, the area of forest is constantly shrinking. The sound of ax echoes the forests from 5 am to late evening. Along with firewood, teak and timber trees are

also being cut. Due to continuous felling in the forest areas, wild animals also feel unsafe and hence due to human intervention, wild animals move towards cities.

4. The news item further alleges that the forest officials are aware of the situation and yet no action is taken or only notices are sent. It states that near the Kranti reservoir, about 13 acres of Forest Development Corporation's forest was cut and a farm was built. But even after crops have been grown on the encroached land, no eviction action has been taken against the encroachment. Inaction against encroachment is encouraging further encroachment. It also alleges that the forest officials do not live in the forest due to which wood smugglers and encroachers are fearless.

5. The above matter indicates violation of the Forest Conservation Act, 1980 and the Environment Protection Act, 1986.

6. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms and implementation of the provisions of scheduled enactment.

7. Power of the Tribunal to take up the matter *suo-motu* has been recognized by the Hon'ble Supreme Court in the matter of "*Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors.*" reported in 2021 SCC Online SC 897.

8. Hence, we implead the following as respondents:

- i. Principal Chief Conservator of Forest, Chhattisgarh
Mahanadi Bhawan, Nawa Raipur, Atal Nagar
- ii. Ministry of Environment and Forest, Regional Office

Aranya Bhawan, North Block, Sector-19, Naya Raipur, Atal
Nagar, Chhattisgarh – 492002

- iii. Chhattisgarh Rajya Van Vikas Nigam Limited, Through its
Managing Director,
Office Campus, Block A, Sector 24, Nava Raipur, Atal nagar,
Raipur- 492002
- iv. District Magistrate, Kabirdham
Office of the Collector and District Magistrate, Kawardha,
District Kabirdham (C.G.) -491995

9. Issue notice to the respondents for filing their response before the appropriate bench of the Tribunal at least one week before the next date of hearing.

10. Having regard to the nature of the facts which have been disclosed in the news item we feel it proper to constitute a Joint Committee comprising of R.O. MoEF & CC Raipur, Representative of CPCB, Principal Chief Conservator of Forest, Chattisgarh and the District Magistrate, Kabirdham. The District Magistrate Kabirdham will act as coordinating agency.

11. The Joint Committee will visit the site, ascertain the correct position and the truthfulness of the allegation which have been made in the news item and the extent of illegal felling of trees which has taken place and submit an action taken report before the Central Zonal Bench of the Tribunal within eight weeks.

12. Since the matter relates to the Central Zonal Bench, Bhopal, therefore, OA is transferred to the Central Zonal Bench. The original

record of this OA be transferred to the Central Zonal Bench, Bhopal for further action.

13. List before Central Zonal Bench at Bhopal 23.09.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

July 02, 2024
O.A.No. 715/2024
HB

पी. को.

(भाग दूसरा)

मोहक्मा जंगल, छत्तीसगढ़

सुपुर्दनामा

लिख देने वाला मैं अमरेंद्र प्रसाद बल्ल
..... A.P.R. जाति बुद्धि पेशा बल्ल
साकिन तहसील जिला
का हूँ.

जो कि जंगल आफिसर ने तफसील माल नीचे
लिखे मुताबिक जेर दफा 52 इंडियन फारेस्ट एक्ट सन् 1927 ई. के
जन्म किया है, वो मेरे सुपुर्द आज तारीख
सन् 200 ई. को किया है. मैं इस करारनामे के बमूजिब उस म.

को अपने ताबे में लेकर इकरार करता हूँ कि उसकी पूरी हिफाजत
कर जब कोई आफिसर जंगल तलब करे फौरन पेश करूंगा.
① 6190 = 08 m
② 6100 = 10 m

तफसील माल सपुर्दशीदा

तारीख 13/ माह 4/0 23 सन 200 ई.

दस्तखत या निशान बायां अंगूठा सुपुर्ददार का.

नाम गवाह जिसके रूबरू सुपुर्द किया गया :-


- (1) अमरेंद्र प्रसाद बुद्धि बल्ल
- (2) अमरेंद्र प्रसाद बुद्धि बल्ल
- ③ लुकीबाम मंगाराम
- ④ अमरेंद्र प्रसाद ② अमरेंद्र प्रसाद

वन विभाग छ.ग. जयपीनाका

दिनांक 13/04/2023

प्र. अ. पत्र क्र. P.A.M.No. 16217/09

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अनुसार

तारीख व समय	जगह जुर्म	किस जुर्म	तफसील जप्त शुदा माल	जिससे माल जप्त हुआ उसका नाम व पूरा पता	जिससे माल जप्त हुआ उसका हस्ताक्षर	अन्य विवरण हेमर का निसान
13/4/23	रसोडा बादवा गडविंगी प/प/98 वर्कवा II व्हीर	भारी धुरी पकवा गडविंगी उपवन आदिवासी मोफि भापकवाली 1524 की व्हीर 33 के/एंप/ए का उपवन	अन्य 215 लीटर 61/90 = 8 मी सोपोपा गडविंगी 91/120 = 10 मी के/ए 18 मी - 2 लीटर	साधुसुख पल्ड जेनेशराम जानि - बीगा उअ - 35 वरि शाय - सीगोना लह पछरिया जिला - कुवरखाम (द.ग.)		17 KPD

गवाह का नाम 1. ...
पता 2. ...
के तुकाराम / गणाराम

जप्त करने वाले वनाधिकारी का नाम व पता

मोहकमा जंगल छत्तीसगढ़

सुपुर्दनामा

लिख देने वाला मैं श्यामसुंदर धर वत्त जालि

पेशा आ.प.र. साकिन तहसील जिला

का हूँ। जो जंगल आफिसर बलेश्वर ने तफसील माल नीचे लिखे मुताबिक जंगल दफ 52 इण्डियन फारेस्ट एक्ट 1927 ई. के जल किया है वो मेरे सुपुर्द आफिसर तारीख माह सन को किया है।

मैं इसके वयोजन उस माल को अपने ताबे में लेकर इकार कर रहा हूँ कि उसकी पूरी हिफाजत कर जब कोई जंगल आफिसर तलब करे फौरन पेश करूंगा तथा इसके लिये मैं कोई किराया या मेहनताना नहीं लूंगा

तकसील जाल सुपुर्दनामा

तारीख 13 माह 04 सन 023

दस्तखत सुपुर्ददार शुभ

- शुभ शुभ
- शुभ शुभ

शुभ
D. सुपुर्दनामा
वनाधिकारी का हस्ताक्षर

वन विभाग छ.ग. जप्तीनामा

प्र. अ. पत्र क्र. 162/17/69

दिनांक 13/04/2023

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अनुसार

तारीख व समय	जगह जुर्म	किस जुर्म	तफसील जप्त शुदा माल	जिससे माल जप्त हुआ उसका नाम व पूरा पता	जिससे माल जप्त हुआ उसका हस्ताक्षर	अन्य विवरण हेमर का निसान
13/04/2023	P/498 बुलारा गु बीए	क्षेत्र वन क्षेत्र मेन्चपेय गडलिंग	<p>अन्य गडलिंग 61/90 = 8 नग</p> <p>रुम ग्रीडे गडलिंग 91/120 = 10 नग</p> <p>मीत्र 18 नग</p>	<p>परदेदा पिता सुगुराम ओड्डु ग्राम - लंगोना तह. पणथिया जिला - कुबीरधाम (द.ग.)</p>	<p>परेशी</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 17 Δ KPD </div>

गवाह का नाम व पता

(1) सुरेश/भागवत यादव रहमानपुरा सुख यादव

(2) सुरेश/भागवत यादव बुलारा सुरेश

(3) बुलारा/मेशाराम बुलारा बुलारा

जप्त करने वाले वनाधिकारी का नाम व पता

मोहकमा जंगल छत्तीसगढ़
सुपुर्दनामा

लिख देने वाला मैं जाति

पेशा तहसील जिला

का हूँ । जो जंगल आफिसर ने तहसील माल नीचे लिखे मुताबिक जरा दफ 52 इण्डियन फारेस्ट एक्स 1927 ई.
के जप्त किया है वो मेरे सुपुर्द आज तारीख माह सन् को किया है ।

मैं इसके वमूजिन उस माल को अपने ताबे में लेकर इकरार करता हूँ कि उसकी पूरी हिफाजत कर जब कोई जंगल आफिसर तलब करें फौरन पेश करूंगा
तथा इसके लिये मैं कोई किराया या मेहनताना नहीं लूंगा ।

① सा. नो. 44 9/120 = 10 नक जर्जिलिज
② अन्य 4/100 = 08 नक
योग = 18 नक

तहसील माल सुपुर्दनामा

तारीख 13 माह 04 सन् 023

.....
दस्तखत सुपुर्ददार

1. सुरेश / भागवत यादव सुरेश यादव

2. सुरेश / भागवत यादव सुरेश

① बुलाराज / प्रशासन बुलाराज

.....
सुपुर्द करमेश्वरी
वनाधिकारी का हस्ताक्षर

पंचनामा
५



हम संसद पंचगण इस बात की तस्वीर करते हैं कि आप दिनांक 13.04.023 को कक्षा क्रमांक 78 में (कक्षा 4) जीए प्रमण के दौरान पन विद्युत निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में जीए प्रमण किये गये। अन्य उपाय एवं स्थिति को प्रवृत्ति की गड़लिंग व अतिरिक्त देखने को मिला।

अस्य कार्य करने पर यह पता चला कि प्रक्षों की गड़लिंग एवं अतिरिक्त साधु राम पिला गणेश राम (1.813 हे०) एवं लाल च अतिरिक्त एवं प्रोपर्टी निर्माण किया है। एवं साधु परदेशी पिला काशु राम पति आइं. डाय (2.943) हे० एवं लाली पर अतिरिक्त किया गया।

इन दोषों के द्वारा प्रक्षों की गड़लिंग किये गया था जिसकी जांच स्थिति मोटे 31/120 मी० वर्ग 10 प्रक्ष एवं अन्य प्रवृत्ति के 8/90 जांच कर को किया गया गया था जिसे मोटे पर पन अपराध क्र० 16217/09 दिनांक 13/04/023 जारी किया गया।

हम सभी पंचगण इस बात की सार्थक हैं पंचनामा लिखवकर प्रेषित किया गया जिसमें हमने दृष्टांतर कि समय में काम आया।

पंचगणों के नाम -

- ① सुरेश पिला भागवत साधु रहमान गांधी - सुरेश साधु
- ② तुलाराम पिला मंथाराम चेलवेंडी लडुभा - तुलाराम
- ③ सुरेश पिला भागवत साधु लडुभा - सुरेश
- ④ साधु राम पिला गणेश लाल सगीना - 
- ⑤ परदेशी पिला काशु राम आइं सगीना - 

अपने पंचनामा में हमने दृष्टांतर कि समय में काम आया।

पंचनामा में लिखवकर सुरेश

परदेशी
सुरेश

मै आशीष कुमार पठोर (स.फ.के.) प्रभारी परिसर रक्षक बंदारा II बेट अपना व्थान लंबी-लंबी लेख करता है कि व्थान दिनांक 13/04/23 को सडिल प्रभारी एवं सुरक्षा मनिडो के साथ वीट भ्रमण पर निडले वीट भ्रमण के दौरान कुछ इमोड PF/498 डौलि जलाशय के पास परदेशी पिला काबुराक गौड गानु लंगोना एवं साधुराक पिला गौडराक बेगा गानु लंगोना के साथ संशोदे प्रजाति के 11/20 गी० वर के 10 नव वृद्धन एवं धान्य प्रजाति के 61/90 गी० वर के 08 वृद्धो की गडलिंग कुल 18 नव वृद्धो की गडलिंग कर अतिहमण एवं सौपडा निर्माण डिया गया दोनो अपराधियों डाय वन भूमी का 4.756 हे० रकब्य कब्ज डिया गय्य ।

दोनो अपराधो परदेशी पिला काबुराक गौड एवं साधुराक पिला गौडराक बेगा गानु लंगोना के मोडे पर कुलाडर डुदताडि डिया गय्य जिसके दोनो अपराधियों ने अपना अपराध लवीकार डिया मेका खबल पर ही जालीनामा पंचनामा तयाट कर अपराधियों के विकरुड वर अपराध इमोड 16217/09 दिनांक 13/04/23 जारी डिया । अपरोक्त अपराधियों को लगसार्डिड डिया डि अविस्वमे पेडो की लकीर्य गडलिंग एवं अतिहमण न करे ।

यही मेरा व्थान है जो डि डुवलि लख्य है लगय खाने पर कर भयि ।

ASHISH PATHARE
A.P.R.O.
प्रभारी वीट बंदारा II

अपरोक्त व्थान मेरे लगसार्डिड डिया गय्य ।

D. N. SAHU
A. P. R. O.

में देवनागरा साहू स.प.ओ. छुंकर II सर्किल प्रभारी हैं। जो कि आज दिनांक 13/4/23 को वन विकास निगम के अधिनस्त कर्मचारियों के साथ बीर भ्रमण निकले, भ्रमण के दौरान कक्षा डमांक PF/498 क्रांति जलशाय से पाप साधुराम 5/0 गणेशराम बैंगल राम मर्गना एवं परदेशी 5/0 फारुखराम गोंड मर्गना के द्वारा खोदना, मोटे सजावति के लक्ष्य 9/1/20 रुकडि वर्ग 10 नाग एवं अन्य सजावति 6/1/90 गोकर्ण वर्ग के 8 लक्ष्य रुक 18 नाग लक्ष्य के गडबिग कर अतिभ्रमण एवं भ्रोपही निर्माण किया गया था। दोनों अपराधियों द्वारा वन भूमि का 4.756 हेक्टर क्षेत्र को कब्जा पाया गया।

दोनों अपराधियों परदेशी 5/0 फारुखराम गोंड एवं साधुराम 5/0 गणेशराम बैंगल को मोटे पर लुकाकर छुछताछ किया गया जिसमें दोनों के द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया। मोटे पर लुकाओं की नाप किया गया एवं जामीनामा, पंचनामा तैयार करवाया गया एवं अपराधीयों के विरुद्ध वन अपराध डमांक 16217/09 दिनांक 13/4/23 जारी करवाया गया उपरोक्त व्यक्तियों को लुकाओं की गडबिग एवं अतिभ्रमण न करने की समझौता दिया गया।

श्री मेश सरी सरी व्याज हैं जो अत्यंत एवं लक्षी हैं।

(Signature)
 APPRO
 D. N. SAHU
 A. P. R. O.

मैं सुरेश पिता भागवत यादव (सुरेश) शास्त्री रहमानपुरा का पुत्र।
मिठाई इ जो डि खान दिनांक 13/04/23 को वन विभाग
निगम के अधिकारियों के साथ बीट भ्रमण पर निकले
भ्रमण के दौरान वन ब्लॉक P/498 हॉलि जलाशय के पास
साधुराम पिता गणेश राम बेगा शास्त्री लगेना एवं परदेशी पिता साधुराम
गोड शास्त्री लगेना के द्वारा संश्लेष प्रजाति के वन 9/120 गै.कॉ.
अन्य प्रजाति 6/190 गै.कॉ. कुल 18 गै.कॉ. के गैलिंग कर
अतिक्रमण एवं शोषण का निर्माण किया था दोनों अपराधीयों
द्वारा वन भूमी का 4.756 हे. रकबा में कब्जा पाया गया।


दोनों अपराधी परदेशी पिता साधुराम गोड एवं साधुराम पिता
गणेश राम बेगा को फीट पर बुलाकर पृष्ठा गया जिसमें
दोनों के द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया
मैंने पर फीट की नोंद किया गया एवं जलीनागा, पंचनागा
लियार किया गया अपराधीयों के विरुद्ध का अपराध
ब्लॉक H 217/09 दिनांक 13/04/23 जारी किया गया
उपरोक्त व्यक्तियों को वृत्त की गैलिंग एवं अतिक्रमण न करने
की सलाह दीया गया।

यही मेरा सच्चा बयान है जो डि शक्ति
सत्य है। सत्य खाने पर शक्ति मिले।

सुरेश यादव

उपरोक्त बयान मेरे द्वारा लिखित है।
उपरोक्त बयान मेरे सत्य है।


ASHISH PATHARE
A.P.R.O.


D. N. SAHU
A.P.R.O.

दिनांक - 13/04/23
स्थान - P/498
अपराधी वीर

श्री तुलाराम पिता भैशाराम कुमारे ग्राहक लड्डवा का फूल निवासी
इं जो की अपराधी वधान एसो-लेट केवा इं डि वान डिनांक
13/04/23 को वन विहास निगत के अधिधरियों के
साथ वीर वधान पर निडले वधान के डायन कड्डा वधान
P/498 वंनि जलाशय के पास साधुराम पिता गणेशराम वंन
वंन परदेसी पिता साधुराम गौड ग्राहक लगेना के बाव संकोडे
पुनारि के वड्डा 9/120 गोठका संव वध्व पुनारि के 6/100गेठ
वर्ग के वड्डा कुल 18 नग वड्डों की गडलिंग कर अतिक्रमण
वर्ग सोपडा निर्माण किया गया कोनो अपराधियों बाव
वन कमी को 4.756 हे रडव्य वड्डा वध्व भय ।

कोनो अपराधी परदेसी पिता साधुराम गौड वंन
साधुराम पिता गणेशराम वंन ग्राहक लगेना के नडले पर

कुलाडर वड्डा वड्डा किया गया जिले के कोनो अपराधियों
किया गौडा वध्व मे जलीनागा, पंचनागा लंधार कर अपराधियों
के विरुद्ध वन अपराध वधान 18217/09 दिनांक 13/04/23
बारे किया गया । उपरोक्त अपराधियों को सनसाईस किया
गया डि अधिधरियों गडलिंग, अतिक्रमण न करे ।

यही मेरा वधान है जो डि वधान सत्य है सगय वंन
पर काफ वधि ।

तुलाराम

उपरोक्त वधान मेरे बाव निपिबद्ध किया गया ।

ASHISH PATHARE
A.P.R.O.

उपरोक्त वधान मेरे सगय लंधार किया गया ।

D. N. SAHU
A.P.R.O.

17/12/17
रजिस्ट्रार - 14/4/98
अदालत बीए

मै सुदेश पिला आग्रवन यादव (सु-क्र) आग्र लडुवा क कुल निवाकी
ई जो डि अपना व्यान सही-सही देना ई डि आग्र जिनांड 13/04/23
को कन विवस निगम के अधिकारियों के साथ बीए अग्रण पर
निकले अग्रण के दौरान कुछ हंगुड PFI 498 अंलि जलाशय
के पास साधुराम पिला गौश बेगा आग्र लगेना संव परदेशी
पिला काशुराम गौड आग्र लगेना हे अथ सं. प्रौ. प्रजाति के अथ
11/20 गे. कर् एं वन्य प्रजाति के 01/90 गे. कर् के अथ
कुल 18 नग अथों की गडलिंग कर अलिअग्रण संव सापडी
निर्माण किया गया दोनो अपराधियों अथ कन अनी
क 4. 756 हे रकब्य उठजा गया गया ।

दोनों अपराधों परदेशी पिला काशुराम गौड एवं साधुराम
पिला गौशराम बेगा आग्र लगेना के केंद्र हवल पर कुलाडर
पुदलाश्र किया गया जिसके दोनो ने अपना अपराध स्वीकार
किया गौडे पर अलीनामा, पंचनामा लया कर अपराधियों के
विमहद कन अपराध हंगुड 16214/09 जिनांड 13/04/23
जारी किया गया । - अपरोक्त अपराधियों के लमसाईस किया
गया डि अविश्य में गडलिंग एवं अलिअग्रण न करे ।

यही मेरा सही-सही व्यान है जो पूर्णतः सत्य है
समस्त धाने कर आग्र अवे ।

सुदेश

अपरोक्त व्यान गेरे अथ लिपिबद्ध किया गया 14/04/98
ASHISH PATHARE
A.P.R.O.
D. N. SAHU
A.P.R.O.

मेरे परदेशी पिता काशुराम जालि गौड़ ग्राम बर्गोना तहसील कच्छ जिला कबीरघाट (द.ग.) की मूल निवासी हूँ जो डि मेरा सत्य-सत्य व्याप्त यह है डि आज दिनांक 13/09/2023 को वन विकास निगम के अधिकारियों के द्वारा मुझे बुलाया गया कि कक्षा क्रमांक P/498 (बंदोबास्त बीट) के कक्षा सन्निहा-मौड़ एवं धर्म्य पुजालि के गैरलिज संय अलिहमण व शोषण निर्माण थापडे-एत किया गया है मैंने बताया की इकल वन-क्षेत्र में संशोडे 91/120 गो.कक्षि, धर्म्य पुजालि के क्षेत्र 61/90 गो. वरि 08 नक्ष कक्षा की गैरलिज संय अलिहमण वन-क्षेत्र 2.943 हे. रकबा में अस्तवर्ष किया।

उक्तों की गैरलिज संय अलिहमण में मेरे साथ साधुराम पिता गौड़राज जालि बर्गोना बर्गोना निवासी की सामिल व्याप्त की गैरलिज संय अलिहमण में अत किया गया है यह मैंने स्वीकार करता हूँ, विभाज के अत जो की अतिर कार्यवाही की जायेगी मुझे स्वीकार है।

उपर्युक्त व्याप्त मेरे अत बीना डि ली दबाव के अत होस-लघाल में दिया गया समय पर अत कार्य।

परदेशी
परदेशी पिता काशुराम
जालि - गौड़ - बर्गोना

उपर्युक्त व्याप्त मेरे अत लिखित किया गया।

अशिश
ASHISH PATHARE
A.P.R.O.
डी.एन. साहु
D. N. SAHU
A.P.R.O.

उपर्युक्त व्याप्त मेरे अत किया गया।

व्ययन

दिनांक-13/4/23
स्थान- 1/498
अक्षरानुपु वीट

मैं साइराम पितृ गौरव बन जाती बंगल ग्राम-सर्गोना लहो पदस्थि
जिला कबीरदास क बल निवासी हूँ जो मेरा व्यय सत्य-सत्य
यह है कि आज दिनांक 13/04/2023 को वन विभाग निवा
के अधिकारियों के द्वारा मुझे उक्त इमोडु PN/498 में कुलवाय
भया जहां वृक्षों की चर्कच रूप से गडलिंग संय अतिवृध
व शोपरी निर्माण से संबंधित पुदनाइ दिया गया।

मैंने पर मेरे द्वारा स्वीकार किया गया कि स.मोडे पुजारी
के 9/120 गो.करी के 10 नग वृक्ष एवं अन्य पुजारी के 6/190
गो.करी के 08 नग वृक्ष गडलिंग दिया एवं वन क्षेत्र में
1.813 हे.रकबा में अतिवृध व शोपरी निर्माण किया
इस कर मैं मेरे साथ करेदी पिता फाशुराम जाती मोड
ग्राम सर्गोना लाबिल था। वन क्षेत्र में वृक्षों की गडलिंग
एवं चर्कच अतिवृध मेरे द्वारा किया गया यह मैं
स्वीकार करता हूँ।

विभाग के द्वारा जो भी उचित कार्यवाही की जायेगी
उले मैं स्वीकार करूंगा। वही मेरा सत्य-सत्य
व्ययन है जो ही पूर्णतः सत्य है सत्य जाने पर
आज याने।

साइराम पितृ गौरव
ग्राम बंगल

इपरिप्ल व्ययन मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया
गया।

Ashish Rathare
A.P.R.O.

इपरिप्ल व्ययन मेरे समक्ष लेयाट किया गया।

D. N. Sahu
A.P.R.O.

Annexure-03

पृष्ठ सं. 01

स्थान - बरेली II बीर

कक्ष सं. PF/498

दिनांक 22/08/2024

समय :- 3.30 PM

पंचनामा

हम सभी पंचगण इस बात की तबदीक करते हैं कि आज दिनांक 22/08/2024 को माननीय NGA द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/07/2024 के परिपालन विषय NGA OA No. 715/2024(CZ) "NEWS Item titled" "वन विकास के जंगलों में लगातार अतिक्रमण व कटाई, प्रतिदिन काटे जा रहे सैकड़ों पेड़ जिम्मेदारी स्वामेश" appealing in eGAMiten.com dated 07.05.2024 में, अतः मौजूदा स्थल निरीक्षण में माननीय NGA द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया है जिसमें कार्यलय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में डॉ. अनुप चतुर्वेदी वैज्ञानिक (ख) प्रधान मुख्य वन संरक्षक के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुखदाहर दिवान उप वनमण्डलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट कबीरदास के प्रतिनिधि श्रीमान् निर्भय साहू अतिरिक्त क्लेकटर, जिला कबीरदास, वन वि. निगम कवर्धा परियोजना मण्डल से मण्डल प्रबंधक, उप मण्डल प्रबंधक एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी, सिंचाई विभाग से अनुविभागीय अधिकारी श्री के. के. शर्मा, श्रीआर. सत्य. कुर्से आमीन पटवारी, उमेश बिहारी स्थल सहायक व ग्रामीणजन की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया गया, स्थल पर किसी प्रकार की अर्बेध कटाई अर्बेध अतिक्रमण नहीं पाया गया। पूर्व में बनाये गये कच्ची झोपड़ियों को हटाया जा चुका है। मौके पर उपस्थित ग्रामीणजनों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार की अर्बेध कटाई, अर्बेध अतिक्रमण वर्तमान में नहीं है, निकटस्थ गडबोिंग किये गये क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया जिसमें ढबड़ों में गडबोिंग के कारण क्षति पाया गया।

अपरोक्त पंचनामा हम सभी पंचगणों के समक्ष तैयार किया गया जो कि पूर्णतः सत्य है ताकि सच रहे वक्त पर काम आवे।

क्र.	पंचगणों का नाम	सं.	हस्ताक्षर
1.	सुंदर शो सुदेश यादव (9265413048)		सुन्दर
2.	रामकरण शो बसंत गौड (9098713755)		रामकरण
3.	राजकुमार शो खेमसिंग नेतान 9340623192		राजकुमार
4.	आनंद शो अनिल मरकम		
5.	सुदेश शो भागवत यादव 7089212364		सुदेश यादव

N 22/8/24
ADM Kabirdh

22.8.24
C/O Bhopal

22.08.24
e/c Dg van Vihar
Kanshi

कुमारी
प्रकरण 34

6) नवीन कुमार मंत्रयुग परि. क्षेत्रपाल - (N. K. Kumar (P.O.))

7) आशिष कुमार पठारे स. प. क्षेत्र. दिवस P. P. P.

8) देवनायाण साहू स. प. क्षेत्र. विशेष न. न. न.

9) फूलसिंग इशरिका स. प. क्षेत्र. (P. P. P.)

10) सुश्री दीपिका सोनवानी उ. म. प्र. Resident

11) श्री छ. छ. वर्मा अनु. अधि. सिंचाई अ. अ.

12) श्री आर. वसु. शर्मा अभिन पत्रकारी अ. अ.

13) श्री इंदिरा लियारो स्वच्छ सहा. सिंचाई अ. अ.

14) श्री सुभाषाधर कोणन उज. मंडलाधिकारी. अ. अ.

15) श्रीमति कुमलावती पोर्दे ^{पठरिया} ^{असंयुक्त ग्राम पंचायत} ^{मुनकुना} कुशाबाबाई

पंचनामा मेरे द्वारा विपिबद्ध किया गया

Rambhadr

वीर कंठ चन्दा
परि. परिक्षेत्र अधिकारी
पठरिया



परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी, पंडरिया

छ.ग.राज्य वन विकास निगम लिमिटेड कवर्धा परियोजना

Annexure-04

कवर्धा (छ.ग.)

पत्र क्र/०७

दिनांक 11.05.2023

प्रति

मण्डल प्रबंधक महोदय

कवर्धा परियोजना मण्डल कवर्धा

द्वारा :- श्रीमान् उप मण्डल प्रबंधक महोदय, कवर्धा।

विषय :- पी.ओ.आर. प्रकरण क्रमांक 16217/09 दिनांक 13.04.2023 के संबंध में।

.....

महोदय जी


उपरोक्त विषयांतर्गत सादर लेख है कि पंडरिया परिक्षेत्र अंतर्गत बदौरा-2 बीट के कक्ष क्रमांक PF/498 में परदेशी आ. फागुराम जाति गोंड निवासी ग्राम सगौना तहसील पंडरिया एवं साधुराम आ. गणेशराम जाति बैगा निवासी ग्राम सगौना तहसील पंडरिया जिला-कबीरधाम (छ.ग.) द्वारा अवैध रूप से वृक्षों की गर्डलिंग कर अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था। जिस संबंध में परियोजना परिक्षेत्र पंडरिया के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया एवं सर्वे कार्य करवाया गया, जिसमें साधुराम आ. गणेशराम जाति बैगा द्वारा उक्त वनभूमि में 1.813 हेक्टेयर में एवं परदेशी आ. फागुराम जाति गोंड द्वारा 2.493 वन हेक्टेयर भूमि की सफाई कर झोपड़ी निर्माण कर अनाधिकृत कब्जा किया गया था। इनके द्वारा सलिहा मोदे प्रजाति के 91-120 गोलाई वर्ग के एवं अन्य प्रजाति के 61-90 गोलाई वर्ग के वृक्षों में गर्डलिंग किया गया था। जिसके पश्चात् उक्त अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गये अवैध गर्डलिंग एवं अतिक्रमण हेतु वन अपराध प्रकरण पी.ओ.आर. क्रमांक 16217/09 दिनांक 13.04.2023 दर्ज किया गया एवं उक्त व्यक्तियों का बयान दर्ज किया गया जिसमें उनके द्वारा अवैध गर्डलिंग एवं अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया।

दोनों आरोपियों ने वृक्षों की गर्डलिंग कर वनों को नुकसान पहुंचाया है एवं अवैध झोपड़ी का निर्माण कर वनों को नुकसान पहुंचाया है वनों की सुरक्षा प्रभावी रूप से हो सके इसके लिये उक्त दोनों आरोपियों को अवैध अतिक्रमण वाले क्षेत्र से बेदखल करना आवश्यक है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त दोनों आरोपियों की बेदखली आदेश जारी करने कृपा करें।

सधन्यवाद !

संलग्न :- उपरोक्तानुसार पी.ओ.आर. जप्तीनामा एवं बयानों की छायाप्रति।



परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी
पंडरिया

पृष्ठां. क्र/

दिनांक

प्रतिलिपि :- उप मण्डल प्रबंधक कवर्धा परियोजना मण्डल कवर्धा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी
परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी
पंडरिया

कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा, जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

क्रमांक 460

कवर्धा दिनांक 19-05-2023

सूचना-पत्र

प्रति,

श्री साधु राम बोर आताज श्री गणेश राम बोर
ग्राम सारोना प.ह.नं. तहसील कवर्धा, जिला - कबीरधाम द्वारा
परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य पट्टिया

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 - अ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको सूचित किया जाता है कि आपने कवर्धा परियोजना मण्डल कवर्धा के परिक्षेत्र के वनमखण्ड कांठारा बोर कक्ष क्रमांक PF/498 में 1.813 हेक्टे. मि.पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है जिसके लिये परिसर रक्षक द्वारा प्रारंभिक अपराध प्रतिवेदन क्रमांक 16217/09 दिनांक 13-04-2023 जारी किया गया ।

अतः इस सूचना मिलने के 15 दिन के अंदर कारण बतायें कि आपके द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने हेतु आपके विरुद्ध निम्नांकित कार्यवाही क्यों न की जावे ?

1. बेदखली का आदेश पारित क्यों न जारी किया जावे ?
2. अनाधिकृत भूमि पर खड़ी की गई समस्त संपत्ति क्यों न अधिग्रहित कर ली जावे ।
3. अनाधिकृत भूमि पर खड़ी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्य को हटाने तथा भूमि को अपनी मूल दशा में लाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च क्यों न आपसे वसूल की जावे ।



मण्डल प्रबंधक

कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा

कवर्धा दिनांक 19-05-2023

पृ.क्र./मा.चि./ 461

1. उप मण्डल प्रबंधक कवर्धा/बोड़ला की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
 2. परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी पट्टिया की ओर संज्ञान क्र 07 दिनांक 11/05/2023 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।
- संबंधित अतिक्रमण से एक प्रति में पावती लेकर इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

रघु प्रति डारुडिया ।

21/05/2023

मण्डल प्रबंधक

कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा, जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

क्रमांक 462

कवर्धा दिनांक 19-05-2023

सूचना-पत्र

प्रति,

श्री ~~पद्देवा~~ गोड़ा आत्मज श्री ~~कृष्णराम~~ गोड़ा
ग्राम ~~सगौरा~~ प.ह.नं. तहसील ~~कवर्धा~~, जिला - कबीरधाम द्वारा
परिक्षेत्र अधिकारी सामान्य ~~पडरिया~~

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 - अ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको सूचित किया जाता है कि आपने कवर्धा परियोजना मण्डल कवर्धा के परिक्षेत्र _____ के व. मण्ड ~~बंदोरा~~ कक्ष क्रमांक ~~PR/498~~ में ~~2.943~~ हेक्टे. वनभूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है जिसके लिये परिसर रक्षक द्वारा प्रारंभिक अपराध प्रतिवेदन क्रमांक ~~16217~~ दिनांक ~~13-04-2023~~ जारी किया गया ।

अतः इस सूचना मिलने के 15 दिन के अंदर कारण बतायें कि आपके द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने हेतु आपके विरुद्ध निम्नांकित कार्यवाही क्यों न की जावे ?

1. बेदखली का आदेश पारित क्यों न जारी किया जावे ?
2. अनाधिकृत भूमि पर खड़ी की गई समस्त संपत्ति क्यों न अधिग्रहित कर ली जावे ।
3. अनाधिकृत भूमि पर खड़ी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्य को हटाने तथा भूमि को अपनी मूल दशा में लाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च क्यों न आपसे वसूल की जावे ।



~~Handwritten Signature~~
मण्डल प्रबंधक
कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा
कवर्धा दिनांक 19-05-2023

पृ.क्र./मा.चि./ 463

1. उप मण्डल प्रबंधक कवर्धा/बोड़ला की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी ~~पडरिया~~ की ओर संज्ञान क्र ~~07~~ दिनांक ~~11/05/2023~~ के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।
संबंधित अतिक्रमण से एक प्रति में पावती लेकर इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

~~Handwritten Signature~~
21/05/2023 ~~परदेशी~~

~~Handwritten Signature~~
मण्डल प्रबंधक
कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा

कार्यालय मण्डल प्रबंधक, वन विकास निगम
कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा (छ.ग.)

क्रमांक 119

कवर्धा दिनांक - 13-06-2023

सूचना - पत्र

श्री परदेशी आत्मज फागुराम जाति - गौड
गाम - कौड प.ह.नं. तहसील - पण्डरिया, जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80- "अ" द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि आपने कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा के पण्डरिया परिक्षेत्र के वन कक्ष क्र. PF-498 में 2.54.9 हेक्टर वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। जिसके लिये रिसर रक्षक द्वारा प्रारंभिक आपराध प्रतिवेदन क्र. 1621 दिनांक 13-04-23 जारी किया गया। जिस हेतु इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 462 दिनांक 19-05-23 जारी किया गया।

अतः इस सूचना मिलने के 15 दिन के अंदर कारण बताये कि आपके द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने हेतु आपके विरुद्ध निम्नांकित कार्यवाही क्यों ना की जावे ?

1. बेदखली का आदेश पारित कर क्यों न जारी किया जावे ?
2. अनाधिकृत भूमि पर खड़ी की गई समस्त सम्पत्ति क्यों न अधिग्रहित कर ली जावे ?
3. अनाधिकृत भूमि पर खड़ी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्यो को हटाने तथा भूमि को अपनी मूल दशा में लाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यो का खर्च क्यों न आपसे वसूल की जावे ?



पृ.क्र./मा. 720

मण्डल प्रबंधक
कवर्धा परियोजना मण्डल
कवर्धा

कवर्धा, दिनांक 13-06-2023

1. उप मण्डल प्रबंधक, कौड की ओर व्यक्तार्थ प्रेषित।
2. परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी पण्डरिया की ओर संज्ञान क्र. 07 दिनांक 11-05-2023 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रप्रेषित। संबंधित अतिक्रमणकारी से एक प्रति में पावती लेकर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

एक प्रति प्राप्त किया

दिनांक 14/6/23

परदेशी

मण्डल प्रबंधक
कवर्धा परियोजना मण्डल
कवर्धा

कार्यालय मण्डल प्रबंधक, वन विकास निगम
कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा (छ.ग.)

क्रमांक 717

कवर्धा दिनांक - 13-06-2023

सूचना - पत्र

श्री

श्री साधुराम आत्मज गणेश राम जाति - बैगा
ग्राम - सवैया प.ह.नं. तहसील - पण्डरिया, जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80- "अ" द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि आपने कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा के पण्डरिया परिक्षेत्र के वन कक्ष क्र. AF-498 में 1.813 हेक्टेयर वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। जिसके लिये परिसर रक्षक द्वारा प्रारम्भिक आपराध प्रतिवेदन क्र. 112/17/0 दिनांक 13.04.23 जारी किया गया। जिस हेतु इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 466 दिनांक 19.05.23 जारी किया गया।

अतः इस सूचना मिलने के 15 दिन के अंदर कारण बताये कि आपके द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने हेतु आपके विरुद्ध निम्नांकित कार्यवाही क्यों ना की जायें ?

1. बेदखली का आदेश पारित कर क्यों न जारी किया जायें ?
2. अनाधिकृत भूमि पर खड़ी की गई सगस्त सम्पत्ति क्यों न अधिग्रहित कर ली जायें ?
3. अनाधिकृत भूमि पर खड़ी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्यों को हटाने तथा भूमि को अपनी मूल दशा में लाने के लिये आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च क्यों न आपसे वसूल की जायें ?



पृ.क्र./मा.क्र. 718

मण्डल प्रबंधक
कवर्धा परियोजना मण्डल
कवर्धा

कवर्धा, दिनांक 15-06-2023

1. उप मण्डल प्रबंधक, बीडला की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी पण्डरिया की ओर संज्ञान क्र. 07 दिनांक 11.05.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित। संबंधित अतिक्रमणकारी से एक प्रति में पावती लेकर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

एक प्रति प्राप्त किया

मण्डल प्रबंधक
कवर्धा परियोजना मण्डल
कवर्धा

दिनांक 14/6/23

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
मण्डल प्रबंधक कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

क्रमांक/ 2252

कवर्धा दिनांक 12-01-2024

सूचना-पत्र

प्रति,

अंतिम स्मरण-पत्र

श्री साधुराम, आत्मज श्री गणेशराम जाति बैगा,

ग्राम सगौना तहसील पंडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग.)

द्वारा :- परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी।

संदर्भ:- 1) इस कार्यालय का सूचना पत्र क्र/717 दिनांक 13.06.2023

2) इस कार्यालय का सूचना पत्र क्र/460 दिनांक 19.05.2023

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 -अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि आपने कवर्धा परियोजना मण्डल कवर्धा के पंडरिया परिक्षेत्र के कड क्रमांक PF/498 में 1.813 हेक्टेयर वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, जिसके लिए परिसर रक्षक द्वारा प्रारंभिक अपराध प्रतिवेदन क्रमांक 16217/09 दिनांक 13.04.2023 जारी किया गया।

अतः इस सूचना मिलने के 07 दिन के अन्दर कारण बतायें कि आपके द्वारा वर्णित भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने हेतु आपके विरुद्ध निम्नांकित कार्यवाही क्यों न की जावे ?

- 1) बेदखली का आदेश पारित क्यों न जारी किया जावे ?
- 2) अनाधिकृत भूमि पर खड़ी की गई समस्त सम्पत्ति क्यों न अधिग्रहित कर ली जावे।
- 3) अनाधिकृत भूमि पर खड़ी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्य को हटाने तथा भूमि को अपनी मूल दशा में लाने के लिए आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च क्यों न आपसे वसूल की जावे।



पृ.क्र/मा.चि./ 2253

मण्डल प्रबंधक

कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा

कवर्धा दिनांक 12-01-2024

- 1) उपमण्डल प्रबंधक कवर्धा/बोड़ला की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी पंडरिया की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। संबंधित अतिक्रमण से एक प्रति में पावती लेकर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

मण्डल प्रबंधक

कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा

Redakthli Notice 2023-24

शुद्ध प्रति प्राप्त किया
13/01/2024

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
मण्डल प्रबंधक कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा जिला - कबीरधाम (छ.ग.)

क्रमांक / 2252

कवर्धा दिनांक 12-01-2024

सूचना-पत्र

प्रति,

अंतिम स्मरण-पत्र

श्री परदेशी, आत्मज श्री फागुराम जाति गोंड,
ग्राम सगौना तहसील पंडरिया जिला कबीरधाम (छ.ग.)

द्वारा :- परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी।

- संदर्भ:- 1) इस कार्यालय का सूचना पत्र क्र/719 दिनांक 13.06.2023
2) इस कार्यालय का सूचना पत्र क्र/462 दिनांक 19.05.2023

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 -अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि आपने कवर्धा परियोजना मण्डल कवर्धा के पंडरिया परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक PF/498 में 2.493 हेक्टेयर वनभूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है, जिसके लिए परिसर रक्षक द्वारा प्रारंभिक अपराध प्रतिवेदन क्रमांक 16217/09 दिनांक 13.04.2023 जारी किया गया।

अतः इस सूचना मिलने के 07 दिन के अन्दर कारण बतायें कि आपके द्वारा वर्णित भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने हेतु आपके विरुद्ध निम्नांकित कार्यवाही क्यों न की जावे ?

- 1) बेदखली का आदेश पारित क्यों न जारी किया जावे ?
- 2) अनाधिकृत भूमि पर खड़ी की गई समस्त सम्पत्ति क्यों न अधिग्रहित कर ली जावे।
- 3) अनाधिकृत भूमि पर खड़ी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्य को हटाने तथा भूमि को अपनी मूल दशा में लाने के लिए आवश्यक समस्त कार्यों का खर्च क्यों न आपसे वसूल की जावे।



मण्डल प्रबंधक

कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा

पृ.क्र/मा.चि. 2251

कवर्धा दिनांक 12-01-2024

- 1) उपमण्डल प्रबंधक कवर्धा/बोड़ला की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी पंडरिया की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। संबंधित अतिक्रमण से एक प्रति में पावती लेकर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

रख प्रलि फाल दिया


मण्डल प्रबंधक

कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा

13/01/2024

परदेशी

नजदीक नक्शा



INDEX	
[1]	साक्षराम/गणेशरामगोंड
[2]	परदेशी/जायूरामगोंड

Amish Pathare
AMISH PATHARE
 A.P.R.O.


D. N. Sahu
 APPRO
D. N. SAHU
 A. P. R. O.

R. N. S.
 परियोजना निरीक्षण अधिकारी
 पणडरिया

कृषि परियोजना मंडल कृषि

कडाड: 498, बीट - बंदोरा II, सर्किल - कुकुर II, प्रखेत्र - पण्डरिया

कुल रकम - 216.250 हे०



INDEX	
1	साधुराम/गणेशराम (अंश)
2	पन्देशी/काधुराम गोंड

Ashish Pathare
ASHISH PATHARE
 A.P.R.O.

D.N. Sahi
D. N. SAHI

[Signature]
 परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी
 पण्डरिया



पत्र क्र/152

दिनांक 12/08/2024

प्रति

मण्डल प्रबंधक महोदय
कवर्धा परियोजना मण्डल कवर्धा

द्वारा :- श्रीमान् उप मण्डल प्रबंधक महोदय, कवर्धा।

विषय :- कक्ष क्रमांक PF/498 (क्रांति जलाशय से लगे क्षेत्र) से अतिक्रमण हटाये जाने की सूचना बाबत।

- संदर्भ :- 1) कार्यालय मण्डल प्रबंधक कवर्धा का पत्र क्रमांक/461 दिनांक 19.05.2023
2) कार्यालय मण्डल प्रबंधक कवर्धा का पत्र क्रमांक/720 दिनांक 13.06.2023
2) कार्यालय मण्डल प्रबंधक कवर्धा का पत्र क्रमांक/2253 दिनांक 12.01.2024

.....

महोदय जी

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत सादर लेख है कि पंडरिया परिक्षेत्र अंतर्गत बदौरा-2 बीट के कक्ष क्रमांक PF/498 में परदेशी आ. फागुराम जाति गोंड निवासी ग्राम सगौना तहसील पंडरिया एवं साधुराम आ. गणेशराम जाति बैगा निवासी ग्राम सगौना तहसील पंडरिया जिला-कबीरधाम (छ.ग.) द्वारा अवैध रूप से वृक्षों की गर्डलिंग कर अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था। जिस संबंध में परियोजना परिक्षेत्र पंडरिया के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया एवं सर्वे कार्य करवाया गया, जिसमें साधुराम आ. गणेशराम जाति बैगा द्वारा उक्त वनभूमि में 1.813 हेक्टेयर में एवं परदेशी आ. फागुराम जाति गोंड द्वारा 2.493 वन हेक्टेयर भूमि पर झोपड़ी सहित अनाधिकृत कब्जा पाया गया। जिसके पश्चात् उक्त अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गये अवैध गर्डलिंग एवं अतिक्रमण हेतु वन अपराध प्रकरण पी.ओ.आर. क्रमांक 16217/09 दिनांक 13.04.2023 दर्ज किया गया एवं उक्त व्यक्तियों का बयान दर्ज किया गया जिसमें उनके द्वारा अवैध गर्डलिंग एवं अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया।

तत्पश्चात् उक्त वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16217/09 दिनांक 13.04.2023 की जाँच पूर्ण कर प्रकरण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 07 दिनांक 11.05.2023 के माध्यम से वनक्षेत्र से संबंधित आरोपियों की बेदखली हेतु अनुशंसा सहित मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके पश्चात् मण्डल कार्यालय के पत्र क्रमांक 460 दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से साधुराम बैगा आ. गणेशराम बैगा एवं पत्र क्रमांक 462 दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से परदेशी गोंड आ. फागुराम गोंड द्वय निवासी ग्राम सगौना तहसील पंडरिया जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को अनाधिकृत कब्जा हेतु कारण दर्शाओ सूचना पत्र जारी किया गया एवं संबंधित को एक प्रति सौंपकर पावती प्रति प्राप्त किया गया एवं मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। द्वय आरोपियों द्वारा समय पर सूचना पत्र के संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर मण्डल कार्यालय के पत्र क्रमांक 717 दिनांक 13.06.2023 के माध्यम से साधुराम बैगा आ. गणेशराम बैगा एवं पत्र क्रमांक 719 दिनांक 13.06.2023 के माध्यम से परदेशी गोंड आ. फागुराम गोंड द्वय निवासी ग्राम सगौना तहसील पंडरिया जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को अनाधिकृत कब्जा हेतु कारण दर्शाओ सूचना पत्र जारी किया गया एवं संबंधित को एक प्रति सौंपकर पावती प्रति प्राप्त किया गया एवं मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।

द्वय आरोपियों द्वारा समय पर सूचना पत्र के संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर मण्डल कार्यालय के पत्र क्रमांक 2252 दिनांक 12.01.2024 के माध्यम से साधुराम बैगा आ. गणेशराम बैगा एवं पत्र क्रमांक 2250 दिनांक 12.01.2024 के माध्यम से परदेशी गोंड आ. फागुराम गोंड द्वय निवासी ग्राम सगौना तहसील पंडरिया जिला-कबीरधाम (छ.ग.) को अनाधिकृत कब्जा हेतु कारण दर्शाओ सूचना पत्र के संबंध में अंतिम स्मरण पत्र जारी किया गया एवं संबंधित को एक प्रति सौंपकर पावती प्रति प्राप्त किया गया एवं मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।


दिनांक 04.08.2024 को पंडरिया परिक्षेत्र के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा द्वय आरोपियों को वनभूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने हेतु पुनः समझाईश दिया गया जिसके परिपालन में परदेशी आ. फागुराम जाति गोंड निवासी ग्राम सगौना तहसील पंडरिया द्वारा दिनांक 05.08.2024 को स्वयं से उक्त वनक्षेत्र में बनाये हुये झोपड़ी को तोड़ा गया एवं अवैध अतिक्रमण को छोड़ा गया। झोपड़ी तोड़ने के पूर्व झोपड़ी में कोई व्यक्ति एवं किसी प्रकार की सामग्री, मवेशी नहीं था जिससे संबंधित को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, जिस संबंध में मौका स्थल पर पंचनामा तैयार कर पंचगणों का हस्ताक्षर लिया गया।

दिनांक 07.08.2024 को पंडरिया परिक्षेत्र के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा द्वय आरोपियों को वनभूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने हेतु पुनः समझाईश दिया गया जिसके परिपालन में साधुराम आ. गणेशराम जाति बैगा निवासी ग्राम सगौना तहसील पंडरिया द्वारा दिनांक 07.08.2024 को स्वयं से उक्त वनक्षेत्र में बनाये हुये झोपड़ी को तोड़ा गया एवं अवैध अतिक्रमण को छोड़ा गया। झोपड़ी तोड़ने के पूर्व झोपड़ी में कोई व्यक्ति एवं किसी प्रकार की सामग्री, मवेशी नहीं था जिससे संबंधित को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, जिस संबंध में मौका स्थल पर पंचनामा तैयार कर पंचगणों का हस्ताक्षर लिया गया।

दिनांक 09.08.2024 को प्रकरण की जाँच उपरांत सहायक परियोजना क्षेत्रपाल द्वारा परिक्षेत्र कार्यालय पंडरिया में जमा किया गया, जिसे दिनांक 12.08.2024 को प्रकरण का संपूर्ण दस्तावेज पूर्ण कर एवं बेदखली की कार्यवाही कर समस्त प्रकरण मण्डल कार्यालय कवर्धा में जमा किया गया, जो श्रीमान् जी के समक्ष सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित हैं।

सधन्यवाद !

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 08 सहपत्र ।



परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी
पंडरिया

पृष्ठां. पत्र क्र/153

दिनांक 14/08/2024

प्रतिलिपि :- श्रीमान् उप मण्डल प्रबंधक महोदया, कवर्धा परियोजना मण्डल कवर्धा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी
पंडरिया

प्रति,

श्रीमान् मण्डल प्रबंधक महोदय
कुवर्धा परियोजना मण्डल
कुवर्धा (छ.ग.)

कारण:- श्रीमान् उपमण्डल प्रबंधक महोदय कुवर्धा/बोडवा।

विषय:- साधुराम वल्ह गणेशराम जाति बेंगा का झोपडी तोड़कर अतिक्रमण
होउने की सूचना आवत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि परिक्षेत्र पण्डरिया के
अंतर्गत कक्ष क्र. PF/498 में साधुराम वल्ह गणेशराम जाति बेंगा ग्राम सर्गा
निवासी द्वारा झोपडी निर्माण कर अर्बेध अतिक्रमण किया था जिसका POP
क्र. 16217/09 दिनांक 13/04/2023 में प्रकरण दर्ज किया गया था जिसके तार
तम्य में दिनांक 19/05/2023, दिनांक 13/06/2023 व दिनांक 12/01/2024
को क्रमशः प्रथम, द्वितीय व अंतिम सूचना पत्र बेदखली करने हेतु
मण्डल कार्यालय से जारी किया गया था।

दिनांक 07/08/2024 को पण्डरिया परिक्षेत्र के अधिकारी
कर्मचारियों द्वारा उक्त अपराधी को झोपडी एवं अर्बेध कटवा चवाने हेतु
पुनः स्पष्टाईशा देने पर साधुराम वल्ह गणेशराम बेंगा द्वारा स्वयं से उक्त
वनक्षेत्र में बनये हुए झोपडी को तोड़ लिया गया है एवं अर्बेध अतिक्रमण
को छोड़ दिया गया है। झोपडी तोड़ने के पूर्व झोपडी में कोई व्यक्ति व
किसी प्रकार की सामग्री, मवेशी नहीं था। जिससे संबंधित को कोई आर्थिक
नुकसान नहीं हुआ है।

उक्त जानकारी श्रीमान्जी के समक्ष अवलोकनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

धन्यवाद!

भवदीय

Rhandra

परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी

पंचनामा

दिनांक - 07/8/24
 समय - 01:00 PM
 स्थान - PF/498
 बंदोरा II बी.2

हम सभी पंचनाम इस बाल की लुहरीड कर ले है कि आज दिनांक 07/8/24 को छद्म क्रमांक PF/498 बंदोरा II बी.2 अंतर्गत खाना है जहां सर्व से ही साधुराम पिता गणेशराम बेंगा ग्राम सर्गोना निवासी के द्वारा सखिया-मौद प्रजाति के 9/120 गौ. वर्ग के 10 छद्म एवं अन्य प्रजाति के 61/90 गौ. वर्ग के 10 छद्म की बर्डलिंग एवं अर्पण अतिदमन कर शोपरी निर्वाह किया गया था। साधुराम पिता गणेशराम बेंगा सर्गोना द्वारा वन भूमी का 1.813 हे. में अतिदमन कर कस्तूरेश्वरी कर कर रहा था जिसे मायकीय मंडल प्रबंधक क्वार्टर के आदेशों के अन्तर्गत से बेदखली का नोर्षस दिया गया जिसके परिपालन में आज दिनांक को साधुराम पिता गणेशराम बेंगा ग्राम सर्गोना के द्वारा स्वयं से ही अपना कुब्जा खाली किया गया शोपरी हथौते लगभग छिस्ती भी प्रकार का प्रीविल पशु/भेड़ें नहीं पाया गया, शोपरी में रखे सभी सामानों को सुरक्षित साधुराम के छुट्टे में दिया गया।


इपरसेक्स पंचनामा हमारे समक्ष लेट पढ़कर खनामा


जिसने हमने हस्ताक्षर किये।

पंचनामों के नाम व हस्ताक्षर

- 1) जोहन पिता मनबोधा गौड़ सर्गोना
- 2) पंचम पिता दसरु बेंगा सर्गोना
- 3) परदेशी पिता कागुशम गौड़ - - -
- 4) साधुराम पिता गणेशराम बेंगा - - -
- 5) रामपुरण पिता असंत गौड़ डेलनी
- 6) सुरेश पिता आगवंत यादव रहमानडांपा

जोहन
 पंचनाम
 परदेशी
 साधुराम
 सुरेश

इपरसेक्स पंचनामा मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया। 
 ASHISH PATHARE
 A.P.R.O.

इपरसेक्स पंचनामा मेरे समक्ष लेप किया गया। 
 D. N. SAHU
 A.P.R.O.

मैं साधुराम पिता गणेशराम का ग्राम सागीना नरहो पंढरिया
जिला- कबीरघाट (छ.ग.) का निवासी हूँ जो कि आज दिनांक
07/08/24 को वन विभाग निगम के अधिकारी / कर्मचारी
P/498 अदालत आते जहाँ मेरे डाय वरिष्ठ रूप से गैडिंग एवं
अनुसंधान कर सौंपी निर्माण किया गया था वहाँ मैंने घर
पहुँचे। मैंने मेरे रूप से ही मेरे विभाग डाय वेदवर्ती का
आदेश मिला था जिसके परिपालन में मैं साधुराम
अपनी सौंपी एवं अनुसंधान क्षेत्र स्वयं से ही खाती कर
रहा हूँ।

मेरे डाय वन क्षेत्र में बनाये गये सौंपी में डिब्बी की उखर
का जीवित पशु/भेड़ नहीं है इसकी दृष्टि करता हूँ सौंपी
में जो भी जरूरी सामान रखा था उसे विभाग के कर्मचारियों
द्वारा सुरक्षित मेरे दुर्घट में दिया गया।

यहाँ मेरा सही-सही ध्यान है जो कि मैं
पूर्ण होस हवास में बीना डिब्बी दबाव में दिया
जो कि शक्ति सत्य है समझ खाने पर हाव धारण।
अक्सर मैं मेरे डाय इस वन क्षेत्र में डिब्बी की उखर
की जालि नहीं बूढ़ा यहाँ मेरा कथन है।

साधुराम पिता गणेश
राम बंगाल

उपर्युक्त ध्यान मेरे डाय लिपिबद्ध किया गया।

Ashish Pathare
ASHISH PATHARE

A.P.R.O.

उपर्युक्त ध्यान मेरे समझ लेया किया गया।

D. N. Sahu
D. N. SAHU

D. N. SAHU

A. P. R. O.

पंचनामा

दिनांक - 05/8/2

समय - 11:00 AM


स्थान - P/498

बेदारा II बीट


हम पंचगण इलाक़ा की लडीबु करते हैं डि आज दिनांक 05/8/24 को इस दिनांक P/498 बेदारा II बीट अंतर्गत आता है। जहां पूर्व में परदेशी पिता फ़ागुराम गोड निवासी सांगाना के द्वारा सविहा भौदे प्रजाति के 91/120 गौ. वर्ग के 10 वृक्ष एवं अन्य प्रजाति के 61/90 गौ. वर्ग इमों की गडलिंग एवं धैर्य अलिद्रमण कुट झोपड़ी निर्माण किया गया था। परदेशी राम इस वन भूमी में 2.943 हे. भूमी में अलिद्रमण पाया गया जिले माननीय प्रबल प्रबंधक के आदेशों के माध्यम से बेदखली का प्रोटीय दिया गया था। जिसके परिपालन में आज दिनांक को परदेशी पिता फ़ागुराम गोड इस स्वयं से ही अपना डब्जा खाली किया गया। जोपड़ी हमले समय किसी भी प्रकार का जीवित पशु/मवेशी नहीं पाया गया जोपड़ी में रखे सामानों को सुरक्षित परदेशी राम के सुफुद में दिया गया।

उपरोक्त पंचनामा हमारे समक्ष लैगार किया गया जो डि पूर्णतः सत्य है जिसे पढ़कर सुनाया गया जिसमें हमें हस्ताक्षर किये - सनद रहे वकल पर दाय धारि ।

पंचगणों का नाम व हस्ताक्षर

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1) बन्धु पिता दशरथ बेंगा - सांगाना | पंचराम |
| 2) जोहन पिता मनमोदी गोड - | जोहन |
| 3) परदेशी पिता फ़ागुराम गोड - | परदेशी |
| 4) फ़ागुराम पिता जोशराम बेंगा - |  |
| 5) सुरेश पिता भागवत साडवू खमानक्षणा | सुरेश |
| 6) रामकरण पिता बल्लेल गोड बसली | रामकरण |

उपरोक्त पंचनामा मेरे हाथ लिपिबद्ध किया गया ।
 उपरोक्त पंचनामा मेरे समक्ष लैगार किया गया ।


 ADISH SAHARE
 1000
 APR 2024
 ADISH SAHARE

मैं परदेशी पिता कायराज गौड़ शत्रु सगौना के श्रम
निवासी हूँ जो डि जाज रिपोर्ट 05/08/024 के वक्त
विशाल मिगम के अधिकारी / कर्मचारियों की उपस्थिति में
वन कक्ष क्रमांक PP/498 बंदोरा में बंदोरे के अंतर्गत
जाता है जहां मेरे द्वारा चर्चक रूप से पेड़ों की गड़बड़-
कर एवं अलिखित कर सौंपी निर्माण किया गया था।
वहां मैंने पर पड़नें मुझे श्रम से ही विभाग से बेदखली
का आदेश मिला था जिसके परिपाकन में मैं परदेशी
पिता कायराज गौड़ शत्रु सगौना अपनी सौंपी एवं अलिखित
क्षेत्र स्वैक से ही खाकी कर रहा हूँ।

मेरे साथ वनश्रम में बनाये गये सौंपी में छिपी
की उकलक जिकिल पशु / बंदोरी नहीं है इसकी गैर छिद्र करत
है सौंपी में श्रम लकी जरूरी सामानों के लिए विभाग
के कर्मचारियों या सुरक्षित मेरे सुपुर्द किया गया।
यहां मेरा लकी- लकी बयान है जो डि मैं श्रम से
हवाल में लीना छिपी दबाव में दिया जो डि श्रम
सत्य है लकय जाने पर काग जावे।
अविष्य में इस का क्षेत्र- डि ली की उकल की जानि मेरे
साथ नहीं होगी इसकी छिद्र करत है।

परदेशी
परदेशी पिता कायराज
गौड़ शत्रु सगौना

उपरोक्त बयान मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया।

ASHISH PATHARE
A.P.R.O.

उपरोक्त बयान मेरे समक्ष लिया किया गया।

D. N. SAHU
A.P.R.O.

मोहकमा जंगल छत्तीसगढ़

सुपुर्दनामा

लिख देने वाला मैं पंडुरेदी वल्द फोगडराज जाति गौड़
..... दुपि साकिन स्तोशनि तहसील पण्डुरादि जिला कुलीरधाम (छ.ग.)

। जो जंगल आफिसर राधेश प्रबो (स.प.देव) ने तफसील माल नीचे लिखे मुताबिक जरा दफ 52 इण्डियन फारेस्ट एक्स 1927 ई.
त किया है वो मेरे सुपुर्द आज तारीख 05/08/24 माह अगस्त सन् 2024 को किया है ।

के वमूजिन उस माल को अपने ताबे में लेकर इकरार करता हूँ कि उसकी पूरी हिफाजत कर जब कोई जंगल आफिसर तलब करें फौरन पेश करूंगा
सके लिये मैं कोई किराया या मेहनताना नहीं लूंगा । शोपरी से निहाले लगाने का विवरण
। नग कुल्दशी, 1 नग कुल्दशी, 2 नग भग
बर्तन 2 नग चारपाई इत्यादि ।
ताकशील माल सुपुर्दनाका

प्रबोदी

दस्ताखत सुपुर्ददार

05 माह 08 सन् 2024

देव प्रिया शाशवत पादव एमानकंपा - सुरेश पादव

भिकरण प्रिया बलिल गौड़ कुमारी - रामकरो

Ashish Pathare
सुपुर्द कर ले वाला
A.P.R.O.


वनाधिकारी का हस्ताक्षर

प्र. अ. पत्र क्र.

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अनुसार

दिनांक

वन विभागा स.ग. जल्दीगाका

तारीख व समय	जगह जुर्म	किस जुर्म	तफसील जप्त शुदा माल	जिससे माल जप्त हुआ उसका नाम व पूरा पता	जिससे माल जप्त हुआ उसका हर्षार	अन्य विवरण हेमर का निसान
						

गवह का नाम OTPA

व पता 1.
2.

जप्त करने वाले वनाधिकारी का नाम व पता

वन विभाग छ.ग. जय्तीनाका

दिनांक

प्र. अ. पत्र क्र.

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अनुसार

तारीख व समय	जगह जुर्म	किस जुर्म	तफसील जप्त शुदा माल	जिससे माल जप्त हुआ उसका नाम व पूरा पता	जिससे माल जप्त हुआ उसका हस्ताक्षर	अन्य विवरण हेमर का निसान

गवाह का नाम व पता
 2.
 जप्त करने वाले वनाधिकारी का नाम व पता

मोहकमा जंगल छत्तीसगढ़

सुपुर्दगावामा

लिख देने वाला मैं साम्बु राव

वत्त

श्रीश्री श्री

जाति

ब्राह्मण

पेशा कृषि

साकिन

श्रीगोपाल

तहसील

फरसिया

जिला

बालरघोपुर

का हूँ। जो जंगल आफिसर आशीष फोरेस्टर (जि.स.जी.डी.) ने तकसील माल नीचे लिखे मुताबिक जरा दफ 52 इण्डियन फारेस्ट एक्ट 1927 ई. के जल किया है वो मेरे सुपुर्द आज तारीख ०७/०८/२०२५ माह अगस्त सन २०२५ को किया है।

मैं इसके वमूजिन उस माल को अपने ताबे में लेकर इकार करता हूँ कि उसकी पूरी हिफाजत कर जब कोई जंगल आफिसर तलब करें फौरन पेश करूंगा तथा इसके लिये मैं कोई किराया या मेहनताना नहीं लूंगा।

- 1. 1 नग दुबल्लि, 1 नग अछुला, 1 नग एरिया
 - 2. 2 नग चारपाई, 2 नग कुर्सी इत्यादि।
- तकसील माल सुपुर्दगावामा

तारीख ०५ माह ०८ सन २०२५

1. साम्बु राव पिता बालरघोपुर - सामकरा


2. श्रीश्री पिता आजगल मारव अभारमण - अभारमण

दस्तखत साम्बु राव

APPROVED
APPRO. by
वन अधिकारी का हस्ताक्षर

कार्यवाही का तख्ता (मुकदमे का रोजनामचा)







- (1) तफसील जुर्म और तफसील माल जो गिरफ्तार हुआ -----
- (2) मुल्जिमों के नाम वलदियत व सकूनत (और मालूम हो) साधुराम जी. गणेशराम जाति बंजा राम सगौना
अन्म एक माथी
- (3) तारीख वकूआ (जुर्म) 13/04/2023 -----
- (4) पता लगाने वाले आफिसर का नाम आशिश कुमार पठारे स.प.०९ -----
- (5) पता लगाने की तारीख और वक्त 13/04/2023 -----
- (6) इव्तदाई रिपोर्ट का नंबर और उसके रवानगी की तारीख वक्त P.O.R.N. 16217/09 PF 498 -----
- (7) इव्तदाई रिपोर्ट की तारीख और वक्त 13/04/2023 -----






तहकीकात शुरू होने की तारीख और वक्त	मुकाम	तहकीकात करने वाले आफिसर की कार्यवाही का खुलासा टीप - हर एक इन्दरांज पर तहकीकात करने वाले आफिसर का दस्तखत करके तारीख और तहकीकात बंद करने का वक्त दर्ज करना चाहिए.	हुकम पाने वाले के दस्तखत मय तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
14/04/23	पडरिया	आज दिवस को P.O.R.N. 16217/09 दिनांक 13/04/23 को परिश्रम कार्यालय पडरिया में जांच हेतु जात किया।	 APRO
15/04/23	बर्दोदागौर	आज दिवस को P.O.R. सफरगा में जांच प्रभारी एवं गवाहों के ब्याग की पुष्टि की गई। P.O.R. सफरगा में कक्षा नं. 498 में साधुराम/गणेश जाति बंजा राम सगौना एवं अन्म माथी द्वारा सगौना द्वारा अन्म सजाति के 6190 मुठारि वर्ग के 8 नंग एवं अन्म, मोहन सजाति के 91120 मुठारि वर्ग के 10 नंग = 18 नंग छूटों की अवैध रूप से गडनिंग कर अतिडमल करके कार्तकार्यी काम 4.456 हेक्टर वन भूमि में साधुराम/गणेशराम जाति बंजा राम सगौना एवं माथी परदेशीराम/काशूराम जाति गोंड ग्राम सगौना के द्वारा किया गया। मौके पर वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी एवं सुरक्षा 93 मिटर के आस्र पट्टा कर अवैध रूप से कर रहे छूटों की गडनिंग कर अतिडमल करके कार्तकार्यी काम हो रोका गया। मौके से जप्त नाम, पंचनामा, एवं अपराधी का ब्याग पंजीबद्ध कर अपराधियों विरुद्ध P.O.R.N.	

तहकीकात शुरू होने की तारीख और वक्त	मुकाम	तहकीकात करने वाले आफिसर की कार्यवाही का खुलासा टीप - हर एक इन्दराज पर तहकीकात करने वाले आफिसर का दस्तखत करके तारीख और तहकीकात बंद करने का वक्त दर्ज करना चाहिए	हुकम पाने वाले के दस्तखत मय तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
26/4/23	पंडरिया	16217/09 दिनांक 13/04/23 को जारी किया गया। अतः की मान्य पी से अक्रोध है कि अपराधी साधुराम/गणेशराम भाति वैशा. शाम सर्गाना एवं अन्न सात्री परदेशी जाग्राम भाति गोड शाम सर्गाना के द्वारा वन एवं वनश्रमि को क्षति पहुचाया गया। अतः वन एवं वनश्रमि की सुरक्षा हेतु वेदरकी करने की अक्रुसता की जाती है। आज दिनांक को P.O.R.N. 16217/09 दिनांक 13/4/23 वेदरकी करने हेतु पंडरिया परिदोश कार्यालय में जमा किया गया।	APRO
11/5/23	कंधा	अक्रोधित P.O.R. अक्रोध के समस्त औपचारिकताएं लांच पूर्ण कर मण्डल कार्यालय में जमा किया गया। अक्रोध में अक्रोधियों के विरुद्ध वेदरकी की अक्रुसता की जाती है।	APRO
19/5/23	पंडरिया	आज दिनांक को मण्डल कार्यालय का पत्र क्रमांक 460 दिनांक 19/5/23 साधुराम/गणेशराम वैशा एवं मण्डल कार्यालय का पत्र क्रमांक 462 दिनांक 19/5/23 परदेशी/जाग्राम गोड का सूचना पत्र प्राप्त हुआ।	APRO
21/5/24	बर्ही मलीर	आज दिनांक को मण्डल कार्यालय से प्राप्त सूचना पत्र को साधुराम/गणेशराम वैशा एवं परदेशी/जाग्राम गोड को नोटिस देकर एक एक जति में नोटिस में एलाधर करवाकर प्राप्त किया।	APRO
23/5/24	पंडरिया	आज दिनांक को मण्डल कार्यालय में नोटिस की धारा जति को जति किया गया।	APRO

कार्यवाही का तख्ता (मुकदमे का रोजनामचा)

- (1) तफसील जुर्म और तफसील माल जो गिरफ्तार हुआ
- (2) मुल्जिमों के नाम वलदियत व समूनत (और मालूम हो)
- (3) तारीख वकूआ (जूर्म)
- (4) पता लगाने वाले आफिसर का नाम
- (5) पता लगाने की तारीख और वक्त
- (6) इब्तदाई रिपोर्ट का नंबर और उसके खानगी की तारीख
- (7) इब्तदाई रिपोर्ट की तारीख और वक्त

तहकीकात शुरू होने की तारीख और वक्त	मुकाम	तहकीकात करने वाले आफिसर की कार्यवाही का खुलासा टोप-हर एं इन्दराज पर तहकीकात करने वाले आफिसर का दस्तखत कस्के तारीख और तहकीकात बंद करने का वक्त दर्ज करना चाहिए	हुकम पालने वाले के दस्तखत मय तारीख
1	2	3	4
13/6/24	पडरिया	आज दिवाल को मजदूर कार्यालय का पत्र ६० 717 दिनांक 13/6/23 साधुराम/ गणेशराम जाति वर्गा एवं मजदूर कार्यालय का पत्र ६० 719 दिनांक 13/6/23 श्री परदेशी/ फारुख राम गोड का सूचना पत्र प्राप्त हुआ।	 APRO
14/6/23	अदरामबीर	आज दिवाल को मजदूर कार्यालय से प्राप्त सूचना पत्र को साधुराम/ गणेशराम वर्गा एवं परदेशी/ फारुख राम गोड को नोटिस देकर एक एक छति में हस्ताक्षर करताकर प्राप्त किया।	 APRO
15/6/23	पडरिया	आज दिवाल को मजदूर कार्यालय में नोटिस की धारा छति को जेबित किया गया।	 APRO
12/1/24	पडरिया	आज दिवाल को मजदूर कार्यालय का अतिरिक्त स्मरण पत्र, पत्र ६० 2250 दिनांक 12/1/24 श्री परदेशी/ फारुख राम जाति गोड एवं पत्र ६० 2252 दिनांक 12/1/24 श्री साधुराम ६० गणेशराम जाति वर्गा का स्मरण पत्र प्राप्त हुआ।	 APRO
13/1/24	अदरामबीर	आज दिवाल को परदेशी/ फारुख राम गोड एवं साधुराम/ गणेशराम जाति वर्गा को एक-एक छति में हस्ताक्षर करताकर प्राप्त किया।	 APRO
14/1/24	पडरिया	आज दिवाल को स्मरण पत्र में धारा छति में पावती के परदेशी कार्यालय में जेबित किया गया।	 APRO

तहकीकात शुरू होने की तारीख और वक्त	मुकाम	तहकीकात करने वाले आफिसर की कार्यवाही का खुलासा दीप-हा ए इन्द्रराज पर तहकीकात करने वाले आफिसर का दस्तखत करके तारीख और तहकीकात बंद करने का वक्त दर्ज करना चाहिए	हुकम पालने वाले के दस्तखत मय तारीख
1	2	3	4
5/8/24	बदोश II वीर	आज दिवाल को अधिनास्था कर्मचारी की उपस्थिति में अपराधियों के ब्याज एवं पंचनामा तैयार किया गया एवं वेदवच किया गया।	 APRO
7/8/24	बदोश II वीर	आज दिवाल को वन विभाग के अधिनास्था कर्मचारी की उपस्थिति में अपराधियों के ब्याज एवं पंचनामा तैयार किया गया। एवं वेदवच किया गया।	 APRO
9/8/24	बदोश II वीर	आज दिवाल को वन विभाग के अधिनास्था कर्मचारी की उपस्थिति में अपराधी-का ब्याज एवं पंचनामा तैयार किया गया।	 APRO
9/8/24	पडरिया	आज दिवाल P.O.R. प्रकरण जांच पूर्ण कर परिशोचना परिशोधन कार्यालय में भेजा किया गया।	 APRO
12/08/2024	कवर्धा	पूर्व में तत्कालीन प.प.अ. पडरिया द्वारा अपराधियों के विरुद्ध बैकवली गनी अनुबन्धा कि गई थी जिसके ताबतय में प्रकरण को जांच पूर्ण एवं वेदवच कर समस्त प्रकरण मण्डल कार्यालय कवर्धा में भेजा किया गया।	 परिक्षेत्र अफिसर पडरिया

राजीनामा

जो कि मेरी/ हमारी मौजूदगी में कि गई तहकीकत के आधार पर

- (1) साधुशा वल्द शाहेश्वराम जाति कुशा साकिन सरगाना
- (2) परदेशी वल्द फारुख जाति ब्रौड साकिन सरगाना
- (3) वल्द जाति साकिन
- (4) वल्द जाति साकिन
- (5) वल्द जाति साकिन
- पर जंगल संबंधी जुर्म, याने सराफिलक भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 (1) ग
भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 (1) ग

और मैं चाहता हू/ हम चाहते हैं कि इल्जाम लगाया जूम का *राजीनामा (बरकार को लागू किए गए/हिन्दुस्तानी जंगल संबंधी एक्ट, सन् 1927ई. कर दफा 68 की रू. से किया जावेगा।)

इसलिए मैं/ हम इस तहरीर की रू. से मुकरर कि जाने वाली मूहत के अंदर उतनी रकम बतौर मुआवजे के अदा करने का इकरार करता हू/करते हैं जिनकि तादाद की शख्त रूपये 500/- से ज्यादा न होगी जो डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर या जंगल मुहकमा के कोई दुसरे ऑफिसर जिन्हे इस जुर्म राजीमाना करने का अख्यतार दिया गया हो ठह, रावे।

मैं/ हम रकम अदा करने का इकरार करता हूँ/ करते हैं जो डिवीजनल फारेस्ट ऑफिसर या कोई दुसरे ऑफिसर जिन्हें इस बारे में अख्यतार दिया गया हो, कब्जे में ली गई जमी के काबिल जायदाद किमत के बतौर अन्दाजा करें।

यह तय हुआ कि रकम मजकुर के अदा होने पर मेरे/हमारे *(या जायदाद मजकुर के) खिलाफ और कोई कार्यवाही नहीं कि जावेगी।

तारीख 13/04 सन् 2023 ई. शक किए शक्स के दस्मखत या अंगुठे का निशान

दस्तखत गवाह

- (1) सुरेश शरण शरण रमणकाश (4)
- (2) (5)
- (3) (6)

सर्टिफिकेट तहकीकात कुनिन्दा

मैं तस्दीक करता हूँ कि शक किए शख्सों ने यह राजीमन्दी मेरे रूबरू पेश किया

तारीख 01/04 सन् 2024 ई. दस्तखत ऑफिसर तहकीकात कुनिन्दा

अगर कोई जिसमे सरकारी


D. N. SAHU



कार्यालय मंडल प्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
कवर्धा परियोजना मंडल, कवर्धा (छ.ग.)

Phone/Fax: 07741-233545, E-mail: dmkawardha@rediffmail.com (GST No. 22AACCC2857L5ZK)

आदेश द्वारा श्री पीताम्बर मण्डल प्रबंधक,
छ.ग.राज्य वन विकास निगम लिमि., कवर्धा परियोजना मण्डल कवर्धा, (कबीरधाम)

// आदेश //

क्रमांक/वविनि/2023-24/पी.ओ.आर./ 82

कवर्धा दिनांक 28-03-2024

वनों की सुरक्षा, अवैध कटाई, अवैध अतिक्रमण एवं चोरी के रोकथाम हेतु निम्नानुसार गश्ती दल का गठन किया जाता है। गश्ती दल निम्नानुसार प्रतिदिन जीप क्र CG-04 HA 5641 में कवर्धा परियोजना मण्डल कवर्धा के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में रात्रिकालीन गश्त करेंगे तथा किये गये कार्य, जप्त की गई काष्ठ एवं पंजीबद्ध किये गये वन अपराध प्रकरणों की जानकारी, व्हास्ट्सअप के माध्यम से प्रतिदिन सूचित करेंगे एवं संघारित रजिस्टर में गश्ती का पूर्ण विवरण दर्ज करेंगे तथा अपने हस्ताक्षर करेंगे। दल प्रभारी साप्ताहिक प्रतिवेदन उप मण्डल प्रबंधक के माध्यम से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। दल के सदस्य संबंधित परि. परि. अधिकारी के मुख्यालय में उपस्थित होंगे एवं लॉग बुक में भी गश्ती का विवरण दर्ज करेंगे।

गश्ती दल के सदस्य दल प्रभारी को अपनी उपस्थिति देंगे। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

दिन	दल प्रभारी	सदस्य
सोमवार	श्री नवीन कुमार कश्यप प.प.अ. बोड़ला (दल प्रभारी)	1 श्री जयप्रकाश जॉगड़े स.प.क्षे. (तरेगाँव)
		2 श्री गणेश राम चन्द्रवंशी स.प.क्षे. (पंडरिया)
		3 श्री दिनेश वर्मा क्षेत्ररक्षक (पंडरिया)
मंगलवार	श्रीमति सरिता सिदार प.प.अ. तरेगाँव (दल प्रभारी)	1 श्री धर्मेन्द्र कुमार मेहरा स.प.क्षे. (सिंघारी)
		2 श्री देवनारायण साहू स.प.क्षे. (पंडरिया)
		3 श्री विनायक मानव मरावी क्षेत्ररक्षक (पंडरिया)
		4 कु. सुषमा सिंह ठाकुर क्षेत्ररक्षक (पंडरिया)
बुधवार	श्री रविकान्त चन्द्रा प.प.अ. पंडरिया (दल प्रभारी)	1. श्री बाला सिंग कंवर स.प.क्षे. (बोड़ला)
		2. श्री आशीष कुमार पठारे स.प.क्षे. (पंडरिया)
		3. श्री अभिषेक देवांगन स.प.क्षे. (सिंघारी)
गुरुवार	श्री हरिश कुमार जोशी, प.प.अ. सिंघारी (दल प्रभारी)	1. श्री श्रीकांत कुमार सिंह स.प.क्षे. (सिंघारी)
		2. श्री निरंजन काम्बले स.प.क्षे. (बोड़ला)
		3. श्री मुकेश कुमार शांडिल्य स.प.क्षे. (पंडरिया)
शुक्रवार	श्री नवीन कुमार कश्यप प.प.अ. बोड़ला (दल प्रभारी)	1 श्री अभिषेक देवांगन स.प.क्षे. (सिंघारी)
		2 श्री घासीराम साहू स.प.क्षे. (तरेगाँव)
		3 श्री दिनेश वर्मा क्षेत्ररक्षक (पंडरिया)

दिन	प्रमुख	सदस्य
शनिवार	श्री रविकान्त चन्द्रा प.प.अ. पंडरिया (दल प्रभारी)	1. श्री अभिषेक देवांगन स.प.क्षे. (सिंघारी)
		2. श्री धर्मेन्द्र कुमार मेहरा स.प.क्षे. (सिंघारी)
		3. श्री बाला सिंग कंवर स.प.क्षे. (बोड़ला)
रविवार	श्री हरिश कुमार जोशी, प.प.अ.सिंघारी (दल प्रभारी)	1. श्री शैलेन्द्र कुमार चन्द्रा स.प.क्षे. (तरेगाँव)
		2. श्री गणेश राम चन्द्रवंशी स.प.क्षे. (पंडरिया)
		3. श्री संदीप चन्द्रवंशी स.प.क्षे. (सिंघारी)
		4. श्री फूलसिंग झारिया स.प.क्षे. (पंडरिया)

उपरोक्तानुसार वाहन क्रमांक CG-04 HA 5641 में रात्रि गश्त करेंगे, जिसका वाहन चालक श्री तुलाराम चन्द्रवंशी होंगे।

आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से करना सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

पीताम्बर (उ.म.प्र.)

मण्डल प्रबंधक

कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा

कवर्धा दिनांक 28-03-2024

पृ.क्रमांक/वविनि/2023-24/पी.ओ.आर./ 3050

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया उपरोक्त गश्ती दल के गठन का अनुमोदन करने की कृपा करें।
2. उप मण्डल प्रबंधक कवर्धा/बोड़ला की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी बोड़ला, सिंघारी, तरेगाँव, पंडरिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि गठित दल में संलग्न कर्मचारी को आदेश की एक प्रति प्रदाय करते हुए गश्त करवाना सुनिश्चित करें।
4. प्रभारी सहायक प्रबंधक (लेखा) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. वाहन प्रभारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. श्री तुलाराम चन्द्रवंशी दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक उड़नदस्ता की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वाहन की देख-रेख की संपूर्ण जवाबदारी आपकी रहेगी, वाहन में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेंगे।
7. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/गार्ड फाईल।

पीताम्बर (उ.म.प्र.)

मण्डल प्रबंधक

कवर्धा परियोजना मण्डल, कवर्धा



कार्यालय मंडल प्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
कवर्धा परियोजना मंडल, कवर्धा (छ.ग.)

Phone/Fax: 07741-233545, E-mail: dmkaawardha@rediffmail.com (GST No. 22AACCC2857L5ZK)

क. / वविनि / 2024-25 / स्थापना / 862
प्रति,

कवर्धा, दिनांक 12-07-2024

परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी
पंडरिया

विषय :- अति संवेदनशील बीट बदौरा -2 में अतिरिक्त ड्यूटी लगाने बाबत।

.....

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि बदौरा -2 बीट अति संवेदनशील होने के कारण प्रायः अवैध कटाई तथा अतिक्रमण की घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती है।

अतः अवैध कटाई तथा अतिक्रमण की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु श्री अनिल कुमार कुर्रे स.प.क्षे. एवं श्री फूलसिंह झारिया स.प.क्षे. की ड्यूटी दिन में उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त बदौरा-02 बीट में लगाई जाती है।

अतः उनको उक्त कार्य हेतु निर्देशित कर मण्डल कार्यालय को अवगत करावें।

मण्डल प्रबंधक
कवर्धा परियोजना मण्डल
कवर्धा

पृ.क्रमांक / वविनि / 2024-25 / स्थापना / 863
प्रतिलिपि :-

कवर्धा, दिनांक 12-07-2024

- 1) प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2) उप मण्डल प्रबंधक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3) श्री अनिल कुमार कुर्रे स.प.क्षे. एवं श्री फूलसिंह झारिया स.प.क्षे. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आपकी ड्यूटी दिन के समय में वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त बदौरा-02 बीट में लगाई जाती है।

मण्डल प्रबंधक
कवर्धा परियोजना मण्डल
कवर्धा